न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा
(निर्णय बईजलास एल.एन.सोनी आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 35/2018/अपील/आर्म्स एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांकः 5.10.2018
अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट,1959

उनवान

हजारीलाल मीणा पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम ऐबरा तहसील व जिला बूंदी राज0।

...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये उप खण्डा मजिस्ट्रेट, बूंदी ।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजबिहारी गोचर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री हरिश शर्मा राजकीय अभिभाषक रेस्पो0

:::निर्णय:::

दिनांक 6.1.2020

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3058–62 दिनांक 10.10.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1979 बन्दूक सं0 2706 टोपीदार गन वैधता अवधि दिनांक 31.12.2016 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 70/78 दर्ज होने से तत्काल प्रभाव से जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3058–62 दिनांक 10.10.2017 से निलम्बित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील आर्म्स एक्ट की धारा 18 अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया कि 2 आपराधिक प्रकरणों मे प्रताडना व जुर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने के आधार पर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने को आधार बनाकर लाईसेन्स निलम्बित करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने जवाब मे वर्तमान मे किसी प्रकार का कोई गंभीर अथवा सामान्य प्रकरण नही होने व न्यायालय मे लम्बित नही होने बावत उल्लेख कर दिया था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अपीलांट को शस्त्र की आवश्यकता रहती है। अतः अपील स्वीकार की जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध 2 आपराधिक प्रकरणों मे प्रताडना व जुर्माने से न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने के आधार पर पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा लाईसेन्स नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने को आधार बनाकर लाईसेन्स निलम्बित करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे अपने जवाब मे वर्तमान मे किसी प्रकार का कोई गंभीर अथवा सामान्य प्रकरण नही होने व न्यायालय मे लम्बित नही होने बावत उल्लेख कर दिया था अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया। अतः अपील स्वीकार की जाने का अनुरोध किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे प्रकट किया कि जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण सं0 70/78 दर्ज होने से शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण की अनुशंसा नही किये जाने से निलम्बित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है। अपील खारिज की जावे।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। विलम्ब अवधि क्षम्य हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का तथा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का रेस्पो0 राजकीय अधिवक्ता द्वारा खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञापत्र सं0 1979 बन्दूक सं0 2706 टोपीदार गन वैधता अवधि दिनांक 31.12.2016 को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण हेतु अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर जिला पुलिस अधीक्षक बूंदी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण सं0 70/78 दर्ज होने से तत्काल प्रभाव से जेरअपील आदेश क्रमांक/न्याय/2017/3058–62 दिनांक 10.10.2017 से निलम्बित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि प्रकरण सं0 76/87 का न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र निलम्बन से बहाल कर आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन मे अपील प्रकरण मे आपराधिक प्रकरण सं0 76/87 के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है। जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञापत्र आपराधिक प्रकरण सं0 70/78 न्यायालय मे लम्बित होने से निलम्बित किया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अंतिम निर्णय न होकर अंतरिम आदेश है। अतः सहज न्याय की दृष्टि से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ रिमांड किया जाता है कि न्यायालय मे लम्बित प्रकरण सं0 70/78 तथा प्रकरण सं0 76/87 के निर्णय पश्चात प्रकरण मे हुये निर्णय एवं पूर्व प्रकरण सं0 141/91 मे हुये दोनो निर्णयों का अध्ययन कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 6.1.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(एल. एन. सोनी)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा